प्रा क्क थ न

1. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त पर यह प्रतिवेदन मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में इस वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है।

3. अध्याय III ''वित्तीय रिपोर्टिंग'' वर्ष के दौरान वित्तीय रिर्पोटिंग पद्धत्ति और विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के साथ दुर्विनियोजन, हानि तथा गबन का उदाहरण समाविष्ट करते हुए राज्य सरकार के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।